

उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक/2019/ 1286

दिनांक - 18.6.2019

पत्र
बनाम
पपाराम पुत्र
पिसरान जाति
जाट निवासी
प्रागाणियों की
ढाणी, भाड़खा
तहसील व
जिला बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

1 पपाराम पुत्र राणा 2 विजेश कुमार 3 वीराराम 4 वासूदेव 5 जेताराम
पिसरान भंवराराम 6 वरजूदेवी पत्नी भंवराराम 7 रिडमलराम पुत्र
पाबूराम 8 सवाईराम 9 जेताराम 10 जीयाराम पिसरान चनणाराम 11
सूजीदेवी पत्नी चनणाराम 12 मोहनराम 13 सिमथाराम 14 मगाराम
पिसरान सोनाराम 15 हिस्तु पत्नी सोनाराम 16 वगताराम 17 मेहराराम
18 बालूराम पिसरान नवलाराम जाति कुम्हार निवासी प्रागाणियों की
ढाणी, भाड़खा, 19 रावतसिंह 20 भंगवानसिंह 21 हड़मानसिंह पिसरान
जैका 22 पार्वतीदेवी पत्नी जैका जाति रावणा राजपूत निवासी चौखला
तहसील बायतु 23 रामाराम 24 खेमाराम 25 वीराराम पिसरान
प्रहलादराम जाति जाट निवासी मगनाणियों की ढाणी, भाड़खा 26
रामाराम पुत्र दलाराम 27 डूंगराराम 28 भोमाराम पिसरान रेखाराम जाति
जाट निवासी प्रागाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर
29 प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा भाड़खा 30 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 925/2018

दिनांक- 11-6-19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रागाणियों की ढाणी क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 829/753 रकबा 60.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18.6.2019

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1287-1290

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रूपाराम पुत्र इन्दाराम जाति जाट निवासी प्रागाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पपाराम पुत्र राणा वगैराह जाति कुम्हार निवासी प्रागाणियों की ढाणी,
भाड़खा, तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर